



# राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर शहर के मुख्य स्थान  
मालवीय नगर में व्यावसायिक भूखण्ड की

## भव्य नीलामी

स्थान : मण्डल मुख्यालय,  
जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

दिनांक : 26.02.2009

समय : अपराह्न 3.00 बजे

आरक्षित दर :  
**14785/- प्रति वर्ग मीटर**

व्यावसायिक भूखण्ड  
संख्या एवं क्षेत्रफल :

**6-सी-1**  
**533.50 वर्ग मीटर**


न्यूनतम विक्रय  
मूल्य (रु.)

**25000/-**  
प्रति वर्ग मीटर

अमानत राशि (रु.)

**15.00 लाख**

काल्पनिक चित्र



### भूखण्ड संख्या 6-सी-1 हेतु पैरामीटर्स

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक भूखण्ड
1.	भूमि का अधिकतम आक्षादित क्षेत्र	ग्राउण्ड कवरेज सैट बैंक के अन्दर
2.	एफ. ए. आर.	सैट बैंक छोड़कर जो भी उपलब्ध हो
3.	ऊँचाई	8 मीटर अधिकतम
4.	मंजिल	तहखाना + प्रथम + द्वितीय मंजिल

### सैट बैंक

उत्तर	3.0 मीटर
दक्षिण	4.50 मीटर
पूर्व	3.0 मीटर
पश्चिम	3.0 मीटर

मुख्य विशेषताएँ : 1. पूर्ण विकसित एवं प्रतिष्ठित मालवीय नगर योजना में स्थित। 2. जवाहर सर्किल जे.एल.एन. मार्ग से दूरी लगभग 1.50 कि.मी।

नीलामी की मुख्य शर्तें :- 1) सभी बोली दाताओं को अमानत राशि 15.00 लाख रुपये का डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में जो कि आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पक्ष में देय हो, उक्त भूखण्ड के लिए जमा करवाने के पश्चात् ही बोली में शामिल किया जायेगा। 2) बोली दाता को नीलामी राशि का 5 प्रतिशत मौके पर (अमानत राशि समायोजित करते हुए) जमा कराना होगा। बोली छूटने के 72 घण्टे में (यदि अगले दिन कार्य दिवस में राजपत्रित अवकाश है तो उसके अगले कार्य दिवस को) उच्चतम बोली का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा। 3) आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस के अन्दर लीज मनी व ए.एस.सी. चार्ज के साथ शेष 85 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 4) जे.डी.ए. विनिमय 2000 के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् स्थल पर नियमानुसार निर्माण अनुज्ञेय है। 5) नीलामी में बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जायेगा। 6) नीलामी के दौरान मोबाइल का उपयोग निषेध है। 7) बोली 100 रु. के गुणक में स्वीकार की जायेगी। 8) नीलामी समिति को उच्चतम बोली बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। 9) नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति 'जहां है, जैसी है' की स्थिति में नीलामी द्वारा आवंटित किये जाएंगे। 10) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का भली-भांति निरीक्षण कर लें। निरीक्षण हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता / परियोजना अभियन्ता से सम्पर्क कर सकते हैं। 11) मण्डल द्वारा बनाई गई चारदीवारी का खर्चा अतिरिक्त रूप से लिया जायेगा।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल,  
जवाहर सर्किल के पास, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर  
फोन : 0141-2723844, मो. 9828109492

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय,  
राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर-9, मालवीय नगर, जयपुर  
फोन : 0141-2550472 मो. 9828109455

मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन : 0141 - 2740371, वेबसाईट : [www.rhbonline.com](http://www.rhbonline.com)